छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा पंचादश सत्र अंक-05

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023
(पौष 14, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. अध्यक्षीय कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने पर बधाई

माननीय अध्यक्ष के अध्यक्षीय कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सर्वश्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष,अजय चन्द्राकर,मोहन मरकाम, अरूण वोरा, गुलाब कमरो, भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, शिवरतन शर्मा, डॉ.रश्मि आशीष सिंह,सदस्य ने बधाई दी ।

माननीय अध्यक्ष ने सभी माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से बधाई एवं शुभकांमनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 तथा 03 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धर्मजीत सिंह अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 54 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

(पक्ष/प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये।)

4. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 11.58 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01),

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की

अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022), तथा

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22

पटल पर रखे ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से बाहर जाने का आग्रह किया, किन्तु प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारेबाजी करते रहे ।

6. समिति का निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये वर्ष 2022-2023 की शेष अवधि हेतु सदस्य का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि हेतु रिक्त एक स्थान पर सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव को सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023 एवं मंगलवार, दिनांक 03 जनवरी, 2023 की कार्यसूची में शामिल किया गया था, किंतु कार्यसूची का निर्धारित कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही सभा की कार्यवाही स्थगित होने के कारण निर्वाचन का प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत नहीं हो सका। समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम प्रभावित न हो, इस हेतु मैंने, सभा की अनुमति की प्रत्याशा में समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्धारित निर्वाचन के कार्यक्रम को पत्रक भाग-दो के माध्यम से जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत होगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष

आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण की सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी और उत्तर दिया हुआ माना जायेगा।

1. सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर, मोहित राम, सदस्य।

8. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री कुलदीप जुनेजा

(2) श्री संतराम नेताम

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 05, भटगांव से निर्वाचित सदस्य श्री पारसनाथ राजवाड़े द्वारा जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 2 जनवरी, 2023 से 6 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर से निर्वाचित सदस्य श्री विद्यारतन भसीन द्वारा जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 2 जनवरी, 2023 से 6 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है ।

(सदन द्वारा अनपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।)

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल

(2) श्री कुलदीप जुनेजा

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पुर:स्थापित किया ।

12.सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 4 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे लॉबी कक्ष में एवं पत्रकारगण प्रथम तल पर भोजन ग्रहण करें।

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि वर्ष-2021 के लिए चयनित "उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत किये जाने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर में 04 जनवरी को समय 7.00 बजे से आयोजित है। आप सब माननीय सदस्य एवं पत्रकारगण आमंत्रित हैं।

13.उपाध्यक्ष निर्वाचन की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा मैंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुरूवार, दिनांक 05 जनवरी, 2023 को निर्वाचन की तिथि निर्धारित की थी। उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मध्याह्न बुधवार, दिनांक 04 जनवरी उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मध्यान्ह बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक

नामांकन प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की थी, जिसके तारतम्य में आज बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक नामांकन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । अत: मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गुरूवार, दिनांक 05 जनवरी 2023 के स्थान पर आज बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 की ही तिथि निर्धारित करता हूं ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

14. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें ग्राह्य की गई है जो व्यपगत मानी जायेगी ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें व्यपगत हुई :-

2. श्री अजय चंद्राकर
3. श्री नारायण चंदेल
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल
8. श्री अजय चंद्राकर
9. श्री अजय चंद्राकर
10. डॉ. विनय जायसवाल
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
12. श्री कुलदीप जुनेजा
13. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
14. श्री सत्यनारायण शर्मा
15. श्री संतराम नेताम
16. श्री संतराम नेताम
17. श्री लखेश्वर बघेल
18. डॉ. रमन सिंह
19. श्री अजय चंद्राकर

20. डॉ. रमन सिंह
21. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
22. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
23. श्री अजय चंद्राकर
24. श्री सौरभ सिंह

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

15.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मैं सभा में माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप सभी सदस्य यह जानते हैं कि सभा में आरोप लगाने की एक विधिवत् प्रक्रिया पूर्व निर्धारित है तथा आसंदी की अनुमति पश्चात् ही सभा में आरोप लगाये जा सकते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा विगत् दिवस एवं आज भी नियम विपरीत जो भी आरोप लगाये गये हैं, मैं उन्हें कार्यवाही से विलोपित करता हूं । यह भी अनुरोध करता हूं कि भविष्य में आरोप लगाने के पूर्व नियमों का पालन करें ।

(12.53 से 2.05 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

(अनुपूरक कार्यसूची जारी की गई।)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि आप लोगों का निलंबन समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कृपया सदन से बाहर चले जायें । किन्तु प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों के द्वारा निरन्तर नारे बाजी की गई ।

16. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (2) तद्अनुरूप नियम 7 के उप नियम (2) के अन्तर्गत माननीय श्री संतराम नेताम, सदस्य के लिये पृथक-पृथक प्रस्तावकों की

ओर से सात प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं-:

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(2) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री मोहम्मद अकबर, आवस एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(5) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री अरूण वोरा, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

(6) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय ।"

श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने "श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया ।

(निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाये गये।)

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड-2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों द्वारा गर्भगृह में रहकर नारे लगाते हुए अनुपूरक कार्यसूची फाड़कर आसंदी की ओर फेंकी गयी।)

18. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि "कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों पर सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जांच समिति ने प्रस्ताव किया कि "शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति" का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये ।

(3) श्री अरूण वोरा, सदस्य, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम- (1) के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि :-

(i) माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019,

(ii) माननीय सदस्य श्री धनेन्द्र साहू छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आडिया के विरूद्ध समिति को सन्दर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020, पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

19. नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :-

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि

मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 33/2022 दिनांक 21.07.2022,

(3) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 34/2022 दिनांक 21.07.2022,

(4) माननीय सदस्य, सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा एवं सौरभ सिंह, द्वारा माननीय विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 35/2022 दिनांक 21.07.2022,

(5) माननीय सदस्य, श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय सदस्य, श्री मोहन मरकाम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 36/2022 दिनांक 10.11.2022

मेरे समक्ष विचाराधीन है ।

20.व्यवस्था

प्रश्नकाल एवं शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि :- कल दिनांक 03 जनवरी, 2023 को माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान किये जाने से सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी । इस विषय पर आसंदी से व्यवस्था दिये जाने का अनुरोध किया गया था।

तत्संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथमत: तो शून्यकाल एवं प्रश्नकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्नकाल के दौरान कोई पक्ष, प्रतिपक्ष भी नहीं होता । सभा के सभी माननीय सदस्य, सदस्य के नाते प्रश्न करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर सम्बद्ध विभागीय मंत्री से प्राप्त करते हैं।

तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जिसके माध्यम से माननीय सदस्य स्वयं के क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता के हितों से जुडे सवाल पर शासन से जानकारी प्राप्त कर अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अत: सभा के सभी सदस्य इसकी महत्ता को समझे एवं प्रश्नकाल अबाधित रूप से चलने दें।

निलंबित सदस्यों द्वारा आसंदी के प्रति अशोभनीय आचरण गरिमा के विरूध

मानीय अध्यक्ष ने यह भी व्यवस्था दी कि प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों, जिनका निलंबन समाप्त नहीं हुआ है, उन्होंने निलंबन के बाद भी आसंदी के प्रति अशोभनीय और अशिष्ट कार्यवाही की है, जिसको मैं आंसदी की गरिमा के विरूद्ध समझता हूं । यह उचित नहीं है।

21. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।)

अपराह्न 2.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा